

## राजस्थान वित्त विधेयक, 2010 (जैसाकि राजस्थान विधानसभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए राज्य सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी करने और कतिपय अन्य उपबंध करने के लिए राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 और राजस्थान विद्युत् (शुल्क) अधिनियम, 1962 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है :-

### अध्याय 1 प्रारम्भिक

1. **संक्षिप्त नाम.-** इस अधिनियम का नाम राजस्थान वित्त अधिनियम, 2010 है।

2. **1958 के राजस्थान अधिनियम सं. 23 की धारा 3 के अधीन घोषणा.-** राजस्थान अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं. 23) की धारा 3 के अनुसरण में, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि लोकहित में यह समीचीन है कि इस विधेयक के खण्ड 3 से 10 तक के उपबंध उक्त अधिनियम के अधीन तुरन्त प्रभावी होंगे।

### अध्याय 2

#### राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 में संशोधन

3. **2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 3 का संशोधन.-** राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4), जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 की उप-धारा(1) के खण्ड (ग) में विद्यमान अभिव्यक्ति “पांच लाख रुपये” के स्थान पर अभिव्यक्ति “दस लाख रुपये” प्रतिस्थापित की जायेगी।

4. **2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 16 का संशोधन.-** मूल अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (4) में,-

- (i) विद्यमान खण्ड (छ) में विद्यमान अभिव्यक्ति “बीजक जारी करता है,” के स्थान पर अभिव्यक्ति “बीजक जारी करता है; या” प्रतिस्थापित की जायेगी।
- (ii) इस प्रकार संशोधित विद्यमान खण्ड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-  
 “(ज) कोई व्यवहारी धारा 91 की उप-धारा (2) के अधीन आयुक्त द्वारा यथा अपेक्षित सूचना, कथन या विवरणी इसके अधीन विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर-भीतर प्रस्तुत करने में विफल हो गया है,”।

**5. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 20 का संशोधन.-**  
 मूल अधिनियम की धारा 20 की विद्यमान उप-धारा (2) के पश्चात् और विद्यमान उप-धारा (3) के पूर्व निम्नलिखित नयी उप-धारा अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

“(2क) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, किन्तु उप-धारा (2) के उपबंधों के अध्यक्षीन रहते हुए, जहां कोई रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी, राज्य सरकार के किसी विभाग या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी पब्लिक सेक्टर उपक्रम, निगम या कंपनी, या अपनी शेयर पूंजी में राज्य सरकार का अंशदान रखने वाली किसी सहकारी सोसाइटी, या किसी नगरपालिका या जिला और खण्ड स्तर की किसी पंचायतीराज संस्था या राज्य विधान-मण्डल की किसी विधि के द्वारा या उसके अधीन गठित किसी भी अन्य स्थानीय प्राधिकारी या कानूनी निकाय को माल का विक्रय करता है, वहां ऐसा विभाग, पब्लिक सेक्टर उपक्रम, निगम, कंपनी, सहकारी सोसाइटी, नगरपालिका, पंचायतीराज संस्था, स्थानीय प्राधिकारी या, यथास्थिति, कानूनी निकाय विक्रय करने वाले व्यवहारी को संदेय रकम में से ऐसे व्यवहारी द्वारा ऐसे माल पर संदेय कर के बराबर रकम की कटौती करेगा और उसे ऐसी रीति से और ऐसे समय में, जो विहित किया जाये, सरकारी खाते में निक्षिप्त या जमा करेगा।”।

**6. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 23 का संशोधन.-**  
 मूल अधिनियम की धारा 23 की विद्यमान उप-धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“(1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी, जिसने विहित समय के भीतर-भीतर उस वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी या लेखापरीक्षा रिपोर्ट फाइल कर दी है, धारा 24 के उपबंधों के अध्यक्षीन रहते हुए धारा 21 के अधीन फाइल की गयी वार्षिक विवरणी के आधार पर या, यथास्थिति, धारा 73 के अधीन फाइल की गयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के आधार पर उस वर्ष के लिए निर्धारित किया हुआ समझा जायेगा।”।

7. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 24 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 24 में,-

(i) विद्यमान उप-धारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“(4) जहां धारा 23 की उप-धारा (2) के अधीन तिमाही निर्धारण का विकल्प देने वाले व्यवहारियों से भिन्न कोई व्यवहारी धारा 21 के अधीन वार्षिक विवरणी, या धारा 73 के अधीन लेखापरीक्षा रिपोर्ट विहित समय के भीतर-भीतर फाइल नहीं करता है, वहां निर्धारण प्राधिकारी या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी व्यवहारी का उसके लेखे की पुस्तकों के आधार पर निर्धारण करेगा और यदि वह उन्हें पेश करने में विफल रहता है तो अपनी सर्वोत्तम विवेकबुद्धि से निर्धारण करेगा।”।

(ii) इस प्रकार प्रतिस्थापित उप-धारा (4) के पश्चात् और विद्यमान उप-धारा (5) के पूर्व निम्नलिखित नयी उप-धारा अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

“(4क) जहां धारा 23 की उप-धारा (2) के अधीन तिमाही निर्धारण का विकल्प देने वाला कोई व्यवहारी धारा 21 के अधीन वार्षिक विवरणी या धारा 73 के अधीन लेखापरीक्षा रिपोर्ट विहित समय के भीतर-भीतर फाइल नहीं करता है, वहां निर्धारण प्राधिकारी या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी व्यवहारी का उसके लेखे की पुस्तकों के आधार पर निर्धारण करेगा और यदि वह उन्हें पेश करने में विफल रहता है तो अपनी सर्वोत्तम विवेकबुद्धि से निर्धारण करेगा।”।

8. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 37 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 37 की उप-धारा (4) में विद्यमान अभिव्यक्ति “आयुक्त” के स्थान पर अभिव्यक्ति “आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी” प्रतिस्थापित की जायेगी।

9. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 51क का अंतःस्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 51 के पश्चात् और विद्यमान धारा 52 के पूर्व निम्नलिखित नयी धारा अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात् :-

“51क. कतिपय मामलों में शास्ति और ब्याज को अधित्यक्त करने की राज्य सरकार की शक्ति.- इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, राज्य सरकार लोकहित में, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे निबंधनों और

शर्तों के अधीन जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जायें, व्यवहारियों के किसी वर्ग के लिए किसी कालावधि के लिए संदेय ब्याज या शास्ति की किसी रकम को कम या अधित्यक्त कर सकेगी।”।

10. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 82 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 82 की उप-धारा (3) में विद्यमान अभिव्यक्ति “स्वीकृत कर या अन्य रकम से अधिक शेष मांग” के स्थान पर अभिव्यक्ति “,विवादित कर की रकम” प्रतिस्थापित की जायेगी।

### अध्याय 3

#### राजस्थान विद्युत् (शुल्क) अधिनियम, 1962 में संशोधन

11. 1962 के राजस्थान अधिनियम सं. 12 की धारा 3ग का अन्तःस्थापन.- राजस्थान विद्युत् (शुल्क) अधिनियम, 1962 (1962 का अधिनियम सं.12) की विद्यमान धारा 3ख के पश्चात् और धारा 4 के पूर्व निम्नलिखित नयी धारा अन्तःस्थापित की जायेगी, अर्थात् :-

“3ग. नगरीय उपकर का उद्ग्रहण.- (1) किसी उपभोक्ता द्वारा या ऊर्जा का उत्पादन करने वाले किसी प्रदायक से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा अपने स्वयं के उपयोग या उपभोग के लिए उपभुक्त ऊर्जा पर दस पैसे प्रति यूनिट की दर से “नगरीय उपकर” के नाम से उपकर राज्य सरकार के लिए उद्ग्रहीत और उसे संदत्त किया जायेगा:

परन्तु इस धारा के अधीन कोई उपकर ऐसी ऊर्जा पर उद्ग्रहीत नहीं किया जायेगा,-

- (क) जिसका भारत सरकार द्वारा उपभोग किया जाये;
- (ख) जिसका भारत सरकार द्वारा किसी भी रेलवे के संनिर्माण, रख-रखाव या प्रचालन में उपभोग किया जाये;
- (ग) जिसका किसी खेतिहर द्वारा कृषि कार्यों में उपभोग किया जाये;
- (घ) जिसका राज्य में के नगरपालिक क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों में उपभोग किया जाये;
- (ङ.) जिसका ऐसे नगरपालिक क्षेत्र में के घरेलू प्रवर्ग में उपभोग किया जाये, जहां उपभोग 100 यूनिट प्रति मास से अधिक न हो;
- (च) जिसका निम्नलिखित वर्गों की संस्थाओं द्वारा उपभोग किया जाये, अर्थात्:-

(i) अस्पताल या औषधालय जो निजी लाभ के लिए नहीं चलाये जाते,  
(ii) मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाएं जो निजी लाभ के लिए नहीं चलायी जातीं,

(iii) पूजा के सार्वजनिक स्थान,

इस शर्त के अधीन रहते हुए कि वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त भवनों या भवनों के भागों में उपभुक्त ऊर्जा पर इस उप-खण्ड के अधीन छूट लागू नहीं होगी;

(छ) जिसका उत्पादन 100 वोल्ट से अनधिक के वोल्टेज पर किया जाता हो।

(2) इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंध, जहां तक हो सके, उप-धारा (1) के अधीन संदेय उपकर के उद्ग्रहण, संदाय, ब्याज, संगणना और वसूली के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे इस अधिनियम के अधीन संदेय विद्युत् शुल्क के उद्ग्रहण, संदाय, ब्याज, संगणना और वसूली पर लागू होते हैं।

(3) इस धारा के अधीन संगृहीत उपकर नगरपालिक क्षेत्रों में आधारभूत सुख-सुविधाएं जैसे मार्गों पर प्रकाश, स्वच्छता, सड़कों का रख-रखाव और ऊर्जा संरक्षण उपलब्ध कराने के प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जायेगा।

**स्पष्टीकरण.-** इस धारा के प्रयोजन के लिए “नगरपालिक क्षेत्र” से राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं.18) की धारा 2 के खण्ड (XXXIX) में यथा परिभाषित नगरपालिक क्षेत्र अभिप्रेत है।”।

## उद्देश्यों और कारणों का कथन

### राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003

अधिनियम के अधीन कर के दायी व्यवहारियों से संबंधित उपबंध धारा 3 में सम्मिलित किये गये हैं। ऐसे व्यवहारियों का, जो न तो अन्य राज्यों से माल के आयातकर्ता हैं और न ही विनिर्माता हैं, रजिस्ट्रीकृत होना अपेक्षित है यदि उनका वार्षिक पण्यावर्त पांच लाख रुपये से अधिक है। छोटे व्यवहारियों को राहत देने की दृष्टि से पांच लाख रुपये से अधिक की विद्यमान सीमा को दस लाख रुपये से अधिक तक बढ़ाया जाना प्रस्तावित है।

रजिस्ट्रीकृत व्यवहारियों के आधारभूत डाटा को अद्यतन करने और यह अभिनिश्चित करने की दृष्टि से कि ऐसे व्यवहारी जो कारबार क्रियाकलाप नहीं कर रहे हैं, उन्हें डी-रजिस्ट्रीकृत किया जायेगा, ऐसे अक्रियाशील व्यवहारियों के रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने में समर्थ बनाने के लिए अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (4) को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है। इसके लिए ऊपर निर्दिष्ट उप-धारा में एक नया खण्ड (ज) जोड़ा जाना प्रस्तावित है ताकि ऐसा व्यवहारी जो अधिनियम की धारा 91 की उप-धारा (2) के अधीन आयुक्त द्वारा अपेक्षित सूचना देने में विफल रहता है तो निर्धारण प्राधिकारी या रजिस्ट्रीकरण मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यवहारियों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनका रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया जा सके।

व्यापार और उद्योग की यह बराबर मांग रही है कि विक्रेता व्यवहारी द्वारा जमा कराये गये कर की विद्यमान पद्धति को ऐसी रीति से उपांतरित किया जाना चाहिए कि राज्य सरकार के किसी विभाग या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी पब्लिक सेक्टर उपक्रम, निगम या कंपनी, या अपनी शेयर पूंजी में राज्य सरकार का अंशदान रखने वाली किसी सहकारी सोसाइटी या किसी नगरपालिका या जिला और खण्ड स्तर की किसी पंचायतीराज संस्था या राज्य विधान-मण्डल की किसी विधि के द्वारा या उसके अधीन किसी भी अन्य स्थानीय प्राधिकारी या किसी कानूनी निकाय द्वारा किये गये क्रयों के मामले में इस प्रकार उदगृहीत किये जा रहे कर को जमा कराने के लिए क्रेता को उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए। व्यवहारियों द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि ऐसे विभागों/संस्थाओं को विक्रयों पर संदाय में अत्यधिक रूप से विलम्ब किया जाता है फिर भी व्यवहारियों से ऐसे विक्रयों के ठीक पश्चात् के मास में कर की रकम जमा कराना अपेक्षित है, जिसके परिणामस्वरूप नकदी की समस्या हो जाती है। इस मुद्दे को हल करने के लिए अधिनियम की धारा 20 में एक नयी उप-धारा (2क) अंतःस्थापित की जानी प्रस्तावित है जिसमें ऐसे विक्रयों पर विक्रेता व्यवहारी द्वारा संदेय कर की रकम के संदाय के लिए क्रेता को उत्तरदायी बनाया जायेगा।

व्यवहारियों द्वारा प्रस्तुत की गयी विवरणियां स्वीकार करने पर आधारित स्वनिर्धारण की अवधारणा ऐसे मामलों में लागू नहीं होती जहां व्यवहारी विहित कालावधि में सभी विवरणियां (तिमाही विवरणियों में से किसी को सम्मिलित करते हुए) फाइल करने में विफल रहता है। तिमही विवरणियां फाइल करने में कुछ दिनों के विलम्ब के कारण

अनेक व्यवहारी स्वनिर्धारण के क्षेत्र से बाहर रह गये हैं। स्वनिर्धारण के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए अधिनियम की धारा 23 को, उसकी उप-धारा (1) को प्रतिस्थापित करते हुए, संशोधित किया जाना प्रस्तावित है, ताकि यदि किसी व्यवहारी ने उस वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी या लेखापरीक्षा रिपोर्ट विहित समय के भीतर फाइल कर दी है तो उसे धारा 24 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसी वार्षिक विवरणी या लेखापरीक्षा रिपोर्ट के आधार पर उस वर्ष के लिए निर्धारित किया गया समझा जायेगा।

धारा 24 की उप-धारा (4) के विद्यमान उपबंध यह उपबंधित करते हैं कि यदि कोई व्यवहारी धारा 21 के अधीन विहित कालावधि के भीतर-भीतर सभी विवरणियां या उनमें से कोई भी विवरणी (तिमाही विवरणियों को सम्मिलित करते हुए) फाइल करने में विफल रहता है तो उसे स्वनिर्धारित नहीं किया जा सकता किन्तु लेखापुस्तकों के आधार पर निर्धारण के अधीन रखा जा सकता है और यदि वह उन्हें पेश करने में विफल रहे तो उसे सर्वोत्तम निर्णय आधार पर निर्धारित किया जायेगा। बड़ी संख्या में व्यवहारियों को स्वनिर्धारण के कार्यक्षेत्र से केवल इस आधार पर अपवर्जित किया जा रहा है कि उनकी कोई विवरणी (तिमाही विवरणी को सम्मिलित करते हुए) विहित कालावधि के पश्चात् फाइल की गयी है। व्यवहारियों को स्वनिर्धारण की परिधि में अधिकतम समाविष्ट करने के लिए और अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (1) में संशोधन की निरंतरता में धारा 24 की विद्यमान उप-धारा (4) प्रतिस्थापित की जानी प्रस्तावित है। तिमाही निर्धारण का विकल्प देने वाले व्यवहारियों के लिए एक नयी उप-धारा (4क) अंतःस्थापित की जानी प्रस्तावित है ताकि यदि ऐसा कोई व्यवहारी विहित समय के भीतर-भीतर तिमाही विवरणी फाइल करने में विफल रहे तो उसे लेखापुस्तकों के आधार पर और उनकी अनुपस्थिति में सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर निर्धारित किया जा सके।

कर अपवंचन या परिवर्जन के मामलों के निस्तारण के लिए परिसीमा उपबंधों के अनुपालन की दृष्टि से यह प्रस्तावित है कि ऐसे मामले एक निर्धारण प्राधिकारी से दूसरे निर्धारण प्राधिकारी को अंतरित करने के लिए आयुक्त के अतिरिक्त, उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को सशक्त किया जाये। वर्तमान में ऐसा प्रत्येक मामला केवल आयुक्त या अपर आयुक्त द्वारा अंतरित किया जाना अपेक्षित है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए धारा 37 की उप-धारा (4) संशोधित की जानी प्रस्तावित है।

कोई व्यवहारी ब्याज और/या शास्ति की रकम के अधित्यजन के लिए आवेदन आयुक्त को, जिसे अधिनियम की धारा 51 के द्वारा ऐसे व्यवहारी को हुई वित्तीय और वास्तविक कठिनाई को ध्यान में रखते हुए ऐसी रकम को कम करने या अधित्यक्त करने के लिए सशक्त किया गया है, प्रस्तुत कर सकेगा। परिस्थितियों की ऐसी अपेक्षा हो सकती है कि व्यवहारियों के किसी वर्ग के लिए शास्ति या ब्याज की रकम का सामान्य अधित्यजन या कमी की जा सकती है। इस उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए व्यवहारियों के किसी वर्ग के लिए शास्ति और ब्याज की बकाया मांग को कम करने या उसका अधित्यजन करने के लिए राज्य सरकार को सशक्त करने के लिए अधिनियम में एक नयी धारा 51क अंतःस्थापित की जानी प्रस्तावित है।

अधिनियम की धारा 82 की उप-धारा (3) के अनुसार किसी आदेश से व्यथित कोई व्यवहारी उप आयुक्त (अपील) के समक्ष प्रथम अपील फाइल कर सकता है तथापि, कोई भी अपील तब तक ग्रहण नहीं की जायेगी जब तक कि उसके साथ कर और अन्य

रकम, जो अपीलार्थी उससे शोध्य होना स्वीकार करे और किसी एकपक्षीय निर्धारण आदेश से अपील के मामले में, स्वीकृत कर या अन्य रकम से अधिक शेष मांग का पांच प्रतिशत और अन्य मामलों में दस प्रतिशत जमा कर दिये जाने का सबूत संलग्न न हो। व्यवहारी बराबर यह मांग कर रहे हैं कि मनमानी मांगों करने के मामलों में व्यवहारियों को अभूतपूर्व कठिनाई होती है और यहां तक कि उनके अपील करने के अधिकार से इंकार कर दिया जाता है क्योंकि वे ऐसी रकम जमा कराने में विफल हो सकते हैं। व्यवहारियों द्वारा सामना की जा रही इस वास्तविक कठिनाई को दृष्टिगत रखते हुए, अधिनियम की धारा 82 की उप-धारा (3) को ऐसी रीति से संशोधित किया जाना प्रस्तावित है ताकि व्यवहारी से विवादित कर की रकम का पांच या, यथास्थिति, दस प्रतिशत जमा कराना अपेक्षित हो।

### राजस्थान विद्युत् (शुल्क) अधिनियम, 1962

राज्य में हाल के वर्षों में तीव्र नगरीकरण हुआ है। तथापि, नगरीय विकास के लिए उत्तरदायी नगरीय स्थानीय निकायों के पास नागरिक सुख-सुविधाएं, जैसे मार्गों पर प्रकाश हेतु बिलों का संदाय करने, स्वच्छता या सड़कों के रख-रखाव हेतु पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं हैं। इन उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए नगरीय स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने के लिए 100 यूनिट प्रतिमास से अधिक विद्युत् का उपभोग करने वाले नगरीय उपभोक्ताओं से दस पैसे प्रति यूनिट की दर से नगरीय उपकर का उद्ग्रहण किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त, ऊर्जा संरक्षण अध्यापयों की महत्ता पर इस संबंध में अधिक जोर नहीं दिया जा सकता ।

इस प्रकार संगृहीत उपकर नगरीय क्षेत्रों में आधारभूत सुख-सुविधाएं, जैसे मार्गों पर प्रकाश, स्वच्छता, सड़कों का रख-रखाव, उपलब्ध कराने और ऊर्जा संरक्षण के प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जायेगा। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इस अधिनियम में धारा 3ग अन्तःस्थापित की जा रही है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अतः विधेयक प्रस्तुत है।

अशोक गहलोत,  
प्रभारी मंत्री।

राजस्थान सरकार  
वित्त (कर) विभाग

क्रमांक:प.12(22)वित्त / कर / 2010

दिनांक : 09.3.2010

सचिव,  
राजस्थान विधानसभा,  
जयपुर।

विषय: राजस्थान वित्त विधेयक, 2010 के संबंध में राज्यपाल महोदया की अनुशंषा।

महोदय,

राजस्थान राज्य के राज्यपाल ने राजस्थान वित्त विधेयक, 2010 की विषयवस्तु से अवगत होने के पश्चात् भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) और (3) के अधीन उक्त विधेयक को राजस्थान विधानसभा में पुरःस्थापित और प्रचलित किये जाने और विचारार्थ लिये जाने की सिफारिश की है।

भवदीय,

अशोक गहलोत,  
प्रभारी मंत्री

## प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 5, जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 20 में नयी उप धारा (2क) अन्तःस्थापित करने के लिए ईप्सित है, अधिनियमित किये जाने पर, राज्य सरकार को वह रीति और समय विहित करने के लिए सशक्त करेगा जिसमें उस उप-धारा के अधीन कटौती किये गये कर को सरकारी खाते में निक्षिप्त किया जायेगा।

प्रस्तावित विधान सामान्य प्रकृति का है और मुख्यतः ब्यौरे के विषयों से संबंधित है।

अशोक गहलोत,  
प्रभारी मंत्री।

## राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 से लिये गये उद्धरण

XX

XX

XX

3. कर का भार.- (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक व्यवहारी-

- (क) जो माल का आयातकर्ता है; या
- (ख) जो माल का विनिर्माता है और जिसका वार्षिक पण्यवर्त दो लाख रुपये से अधिक है; या
- (ग) जिसका वार्षिक पण्यवर्त पांच लाख रुपये से अधिक है,-

इस अधिनियम के अधीन कर देने का दायी होगा।

(2) से (3) XX

XX

XX

XX

XX

XX

### 16. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का संशोधन या रद्दकरण.-

(1) से (3) XX

XX

XX

(4) जहां-

- (क) कोई भी ऐसा कारबार, जिसके संबंध में कोई रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र किसी व्यवहारी को इस अधिनियम के अधीन मंजूर किया गया है, स्थायी रूप से बन्द कर दिया गया हो; या
- (ख) किसी व्यवहारी द्वारा कारबार के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती पहले से इस अधिनियम के अधीन कोई रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र धारित करता हो; या
- (ग) किसी व्यवहारी का इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत होने के लिए और कर संदत्त करने के लिए अपेक्षित होना समाप्त हो गया हो; या
- (घ) किसी व्यवहारी ने कोई रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र तथ्यों के दुर्व्यपदेशन या कपट द्वारा अभिप्राप्त किया हो; या
- (ङ.) किसी व्यवहारी ने कोई रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र इस अधिनियम के उपबंधों के विरुद्ध अभिप्राप्त किया हो; या
- (च) कोई व्यवहारी धारा 15 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर-भीतर प्रतिभूति देने में विफल रहा हो और नब्बे दिन की कालावधि व्यपगत हो गयी हो; या
- (छ) कोई व्यवहारी मिथ्या या कूटरचित मूपक बीजक जारी करता है,

वहां निर्धारण प्राधिकारी या रजिस्ट्रीकरण मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी, ऐसे व्यवहारी को सुने जाने का कोई अवसर देने के पश्चात् और लिखित में कारण अभिलिखित करने के पश्चात् रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को ऐसी तारीख से रद्द कर सकेगा जो वह समुचित समझे।

(5) से (6) XX XX XX  
XX XX XX

**23. स्वनिर्धारण.-**(1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी, जिसने विहित समय के भीतर उस वर्ष के लिए समस्त विवरणियां फाइल कर दी हैं, धारा 24 के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए धारा 21 के अधीन फाइल की गयी ऐसी विवरणियों के आधार पर उस वर्ष के लिए निर्धारित किया हुआ समझा जायेगा।

(2) से (3) XX XX XX  
XX XX XX

**24. निर्धारण.-** (1) से (3) XX XX XX

(4) जहां व्यवहारी धारा 21 के अधीन विहित कालावधि के भीतर-भीतर कोई या समस्त विवरणियां फाइल नहीं करता है, वहां निर्धारण प्राधिकारी या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी व्यवहारी का उसके लेखे की पुस्तकों के आधार पर निर्धारण करेगा और यदि वह उन्हें पेश करने में विफल रहता है तो उस वर्ष या, यथास्थिति, तिमाही के लिए अपनी सर्वोत्तम विवेकबुद्धि से निर्धारण करेगा।

(5) से (6) XX XX XX  
XX XX XX

**37. मामलों का अन्तरण.-**

(1) से (3) XX XX XX

(4) उप-धारा (1), (2) और (3) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, आयुक्त, किसी भी समय, प्रशासनिक कारणों से, कोई भी मामला या मामले संबंधित व्यवहारी या व्यवहारियों को कोई भी नोटिस दिये बिना, एक अधिकारी या प्राधिकारी से अन्य अधिकारी या प्राधिकारी को अन्तरित कर सकेगा।

**स्पष्टीकरण.**—इस धारा के अधीन किसी भी व्यवहारी के संबंध में शब्द “मामला” से ऐसी कोई भी कार्यवाही अभिप्रेत होगी जो उप-धारा (2) के अधीन किये गये आदेश की तारीख को अधिनियम के अधीन लंबित हो या जो ऐसी तारीख को या उसके पूर्व पूरी हो गयी होती या जो ऐसी तारीख के पश्चात् प्रारम्भ हो।

XX

XX

XX

## 82. अपील प्राधिकारी को अपील.—

(1) से (2) XX

XX

XX

(3) धारा 38 की उप-धारा (4) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, इस धारा के अधीन कोई भी अपील तब तक ग्रहण नहीं की जायेगी जब तक कि उसके साथ, कर और अन्य रकम, जो अपीलार्थी उससे शोध्य होना स्वीकार करे या उसकी ऐसी किस्त, जो संदेय हो गयी हो और किसी एकपक्षीय निर्धारण आदेश से अपील के मामले में स्वीकृत कर या अन्य रकम से अधिक शेष मांग का पांच प्रतिशत और अन्य मामलों में दस प्रतिशत के संदाय का समाधानप्रद सबूत न हो।

(4) से (8) XX

XX

XX

XX

XX

XX